# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2947/2024**

पुरूषोतम दास

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस आर्मस बटालियन, आरएसी, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. कमांडेट नैवी बटालियन, टोंक।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.09.2024
**आदेश की दिनांक** : 24.09.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2019 और 2020 की वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि न दिए जाने से गंभीर रूप से व्यथित है। अपीलार्थी को दिनांक 31.54.1981 को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, अपीलार्थी कांस्टेबल 853 के रूप में तैनात था, उसे दिनांक 17.9.2018 के आदेश के अनुसार हेड कांस्टेबल नंबर 148 के रूप में पदोन्नत किया गया था और अपीलार्थी को दिनांक 10.9.2020 के आदेश के अनुसार दिनांक 1.10.2020 से वीआरएस प्रदान किया गया। (अनुलग्नक–1व2) अपीलार्थी को दिनांक 17.9. 2018 के आदेश द्वारा कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि हेड कांस्टेबल के वेतनमान में वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि इस उद्देश्य के लिए पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही स्वीकृत की जाएगी। लेकिन बीमारी के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 1.10.2020 से वीआरएस ले लिया और अपीलार्थी उक्त पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सका और इस कारण से वर्ष 2019 और

2020 में वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 1.5.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 7.9.2024 को वकील के माध्यम से नोटिस भी दिया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली। (अनुलग्नक–3 व 4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के वर्ष 2019 और 2020 के लिए दो साल की वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि को मंजूरी दी जावे एवं सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को संशोधित करने और देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**